कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर (म0प्र0)
सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर
Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dfotgwa@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 23 / 3819 ग्वालियर दिनांक 25/5/2023

प्रति,

एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट,
एम.पी.पावर ट्रांसमिशन पैकेज– ।। लिमिटेड,
विजयनगर जबलपुर (म.प्र.)

विषय– ग्वालियर जिले के अन्तर्गत वनमण्डल ग्वालियर में मालनपुर 220 एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डी.सी.डी. एस. ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 1.5684 हेक्टेयर वन भूमि एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी.पावर ट्रांसमिशन पैकेज– ।। लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर को उपयोग पर देने बावत।
(Proposal No.- FP/MP/TRANS/150916/2022)

संदर्भ– 1–भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र क्रमांक / 6–एम.पी.बी 025 / 2022–बी.एच.ओ. दिनांक 22.05.2023
2–प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–4 / 14 / 2022 / 10–11 / 2107 दिनांक 23.05.2023

विषयांकित संदर्भित पत्रों के प्रकरण में लेख है कि ग्वालियर जिले के अन्तर्गत वनमण्डल ग्वालियर में मालनपुर 220 एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु 1.5684 हेक्टेयर वन भूमि एसोसिएट मैनेजर प्रोजेक्ट, एम.पी.पावर ट्रांसमिशन पैकेज– ।। लिमिटेड, विजयनगर, जबलपुर को उपयोग पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक / 6–एम.पी.बी 025 / 2022–बी.एच.ओ. दिनांक 22.05.2023 से (A) शर्त 01 लगायत 10 तक एवं (B) शर्त 01 लगायत 17 तक अधिरोपित शर्तो के आधार पर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी पत्र में अधिरोपित शर्तो के आधार पर राशि जमा करने के साथ–साथ अधिरोपित शर्तो का वचन पत्र एवं पालन प्रतिवेदन आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। अधिरोपित शर्तो के अनुसार पालन प्रतिवेदन 02 प्रतियों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :–

(A) Conditions which need to be complied Prior to hending over of forest land by the state forest department:

1. उक्त शर्त के पालन में प्रभावित वन भूमि के बदले दुगने बिगड़े वन कक्ष क्रमांक 29 रकवा 3.500 हेक्टेयर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रूपये **43,35,723 / –(रूपये तैतालीस लाख पैतीस हजार सात सौ तैईस मात्र)** e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करें। राशि जमा उपरान्त यू. टी.आर. नम्बर सहित अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। (उक्त राशि में 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि सम्मिलित नहीं है)
2. उक्त शर्त के पालन में प्रभावित वन भूमि रकवा 1.5684 हेक्टेयर वन भूमि की 957780 / –रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि रूपये **15,02,182 / –(रूपये पन्द्रह लाख दौ हजार एक सौ बियासी मात्र)** e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करें। राशि जमा उपरान्त यू.टी.आर. नम्बर सहित अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. उक्त शर्त के पालन में प्रभावित वन भूमि पर विद्युत लाईन के नीचे औषधीय रोपण की राशि रूपये **21,72,092 / –(रूपये इक्कीस लाख बहात्तर हजार बानवें मात्र)** e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करें। राशि जमा उपरान्त यू.टी.आर. नम्बर सहित अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। (उक्त राशि में 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क की राशि सम्मिलित नहीं है)

4. उक्त शर्त के पालन में उपरोक्त समस्त राशि कैम्पा मद में ऑन लाईन e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करें।
5. उक्त शर्त के पालन में कलेक्टर जिला ग्वालियर का निर्धारित प्रारूप पर FRA, 2006 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
6. उक्त शर्त के पालन में आवेदक संस्था को प्रभावित वन भूमि पर काटे जाने वाले वृक्षों की वास्तविक संख्या की जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी।
7. उक्त शर्त का पालन विभाग द्वारा किया जावेगा।
8. उपरोक्त शर्तो का उल्लघंन होने की दशा में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं वन संरक्षण अधिनियम, 1980, हैण्डबुक के अध्याय–1 के पैरा 1.21 में उल्लेखित निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी एवं उल्लघंन की राशि जमा करने हेतु आवेदक विभाग वचनवद्ध है, इस आशय का वचन प्रस्तुत करें।
9. उक्त शर्त के पालन में समस्त अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन e-portal (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
10. उक्त शर्त का पालन विभाग द्वारा किया जावेगा।

(B) Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

1. उक्त शर्त के पालन में वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा, इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करें।
2. उक्त शर्त के पालन में शर्त कमांक A (1) के अनुसार क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करें।
3. उक्त शर्त के पालन में यदि भविष्य में नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर पुनरीक्षित की जाती है तो अतिरिक्त नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि आवेदक विभाग जमा करने के लिये वचनवद्ध है। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
4. उक्त शर्त के पालन में व्यपवर्तित वन भूमि पर खड़े प्रभावित होने वाले 55 वृक्षों अथवा कम से कम वृक्षों को वन विभाग की देख–रेख में काटा जावेगा। काटें गये वृक्षों के हानि की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्था वचनवद्ध है। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करे।
5. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि वन क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाईन वन संरक्षण अधिनियम, 1980, हैण्डबुक 2019 के अध्याय–10 के प्रावधान अनुसार डाली जावेगी।
6. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि ट्रांसमिशन लाईन अपर कन्डेक्टर पर नियमित अन्तराल पर पक्षी विक्षेपक (डिफ्लेक्टर) लगाये जाये जिससे पक्षियों को हानि न पहुंचे।
7. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि वन क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाईन, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक 7–25/2012–एफ.सी. दिनांक 05.05.2014 एवं 19.11.2014 के प्रावधान अनुसार डाली जावेगी।
8. उक्त शर्त के पालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशन में व्यपवर्तित वन भूमि को आवेदक संस्था के व्यय पर मौके पर सीमांकित किया जावेगा। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
9. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि के रेखांकन (ले–आउट प्लान) में कोई बदलाव बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं किया जावेगा, इस आशय का वचन प्रस्तुत करें।
10. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा वन क्षेत्र में कोई मजदूरों कैम्प स्थापित नहीं किया जावेगा, इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।

11. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा मजदूरों को ईंधन के रूप में एल.पी.जी. उपलब्ध कराई जावे, ताकि वन क्षेत्र एवं आसपास की वन सम्पदा को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
12. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन मार्ग का निर्माण नहीं किया जावेगा।
13. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग को उक्त भूमि लीज अवधि या परियोजना अवधि में से जो भी कम हो उसके लिये दी जावेगी, इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
14. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगी, इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
15. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य विभाग को बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं दी जावेगी। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
16. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि आवेदक संस्था वन अधिनियमों में उल्लेखित नियम, अधिनियम, दिशा निर्देश, माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों आदि को मान्य करने हेतु वचनवद्ध है।
17. उक्त शर्त के पालन में भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वनो के विकास व वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु समय–समय पर अतिरिक्त शर्ते अधिरोपित की जाती है तो आवेदक विभाग को समस्त शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार अधिरोपित शर्त कमांक A (1), (3) की राशि में पर्यवेक्षण शुल्क की 10 प्रतिशत राशि सम्मिलित नहीं की गई है। उक्त राशि के संबंध में वरिष्ठ द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर राशि की मांग की जावेगी। अतः अधिरोपित शर्तो में उल्लेखित राशि जमा करने के उपरान्त समस्त अधिरोपित शर्तो का एकजाई पालन प्रतिवेदन टेबूलर फार्म में तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। ताकि औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके। संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(प्रियांशी सिंह राठौड़)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

पृ0 कमांक / मा.चि. / 23 / 3820

दिनांक 25/5/2023

प्रतिलिपि–

1–अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 की ओर आपके पत्र कमांक / एफ–4 / 14 / 2022 / 10–11 / 2107 दिनांक 23.05.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।

2–मुख्य वनसरंक्षक ग्वालियर वृत ग्वालियर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर